

संख्या
दिनांक

मुद्रा या कार्यवाही का इतिहास दर्शक पत्र

कितनी गतिवाहावाजे दिवसीय जाने उपरान्त
भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफ
कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं
वकील प्रार्थना का प्रार्थना पर स्वीकार किया
जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शांति
पत्रावली दिया गया। पत्रावली फेरन युगर
होवरनम्बर से कम है।

सप्लेण्ड अधिकारी
मंडल जिला भीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

प्रासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दस्ता संख्या - 09/20 प्रा.पत्र

श्री सुरदेवजी श्री किशनदास वैरागी निवासी- केरियारवेडा उर्फ अखेपुरा
तहसील- माण्डल [कौरा]

-प्रार्थी

बनाम

श्री तुलसीदासजी श्री धवनादास वैरागी निवासी- केरियारवेडा उर्फ अखेपुरा
तहसील- माण्डल [कौरा] (सुलोकित प्रा.पत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13.08.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरियारवेडा उर्फ अखेपुरा पटवार हल्का चारवेडा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1823/509, 505 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आंये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.02.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम केरियारवेडा उर्फ अखेपुरा पटवार हल्का चारवेडा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1823/509, 505 कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चंदास 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथि को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा